न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या–2022/236

(1). कैलाशी बाई पुत्री पोखर जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(2). गलोर पुत्री पोखर जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(3). जसोदा पुत्री पोखर जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(4). द्वारका पुत्री पोखर जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(5). रामधणी पुत्री पोखर जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(6). प्रहलाद पिता नारायण जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(7). राधेश्याम पिता नारायण जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

(1). राजेन्द्र कुमार पिता भैरूलाल जाति नाथ निवासी रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(2). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). रघुवीर सिंह राठौड़– अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). ललित नागर– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1
(2) पैरोकार सरकार– रेस्पोडेन्ट 2

निर्णय **दिनांक 24.01.2023**

1. अपीलांटगण की ओर से उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 99/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा रालडी तहसील नैनवां की खाता संख्या 92 मे दर्ज आराजी संख्या 318, 319,320 कुल किता 3 कुल रकबा 3.3008 हैक्टेयर स्थित होकर प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता ग्राम रालडी से लालगंज जाने वाले आम रास्ते खसरा संख्या 296 से होता हुआ अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की खातेदारी की आराजी संख्या 317 की मेर पर होता हुआ प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजी संख्या 318 पर पहुंचता है। उक्त रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्व खातेदारान के समय से विद्यमान है। उक्त विद्यमान रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वंय की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे कृषि कार्य करने हेतु करता चला आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 द्वारा अवरूद्ध कर दिया है तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त रास्ते मे होकर निकलने से मना कर दिया है। अन्त मे उक्त विद्यमान रास्ते को 20 फीट चौड़ा किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग मे अप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार नैनवां से विवादित रास्ते की रिपोर्ट तलब की गई। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 07.10.2022 को प्रार्थी

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी संख्या 317 मे से कायम किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की ओर से प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट सख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट सख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण के कथनों व पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर तथा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अपीलांटगण की खातेदारी की आराजी मे होकर नया रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित किये जाने मे त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो रास्ता अपने प्रार्थना पत्र मे बताया गया है वह पूर्णतया गलत है। अपीलांटगण की आराजी संख्या 317 की मेर पर कभी रेस्पोडेन्ट का रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ–अ मे दर्शाया गया रास्ता पूर्ण रूप से काल्पनिक व असत्य है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने जाने हेतु रास्ता रालडी से बणजारी जाने वाले रास्ते से आराजी संख्या 262 व आराजी संख्या 263 की मेड पर होते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी संख्या 318 पर पहुंचता है और इसी रास्ते का उपयोग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्षो से करता चला आ रहा है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्तमान मे भी उक्त रास्ते का ही उपयोग करता है। अपीलांटगण की आराजी संख्या 317 मे करीब 15 वर्षो से तारबंदी हो रही है । कभी भी अपीलांटगण की भूमि मे होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का रास्ता नहीं रहा है। फिर भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट की खातेदारी की आराजी मे होकर नया रास्ता कायम किये जाने की मांग की है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से स्वीकार कर अपीलांटगण की आराजी मे से रास्ता कायम किये जाने मे त्रुटि की हैं ।आराजी संख्या 318 के आस–पास अन्य काश्तकार भी रालडी से बणजारी के उक्त रास्ते से होकर आराजी संख्या 262 व 263 की मेड पर होकर आते जाते रहे है।

अपीलांटगण के उक्त कथन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया है। विवादित रास्ते की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है । उक्त विधिविरूद्ध रिपोर्ट के संबंध मे अपीलांटगण की ओर से आपत्ति अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 30.09.2022 को प्रस्तुत की गई लेकिन उक्त आपत्ति को नजरअंदाज कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मनमाने तौर पर निर्णय पारित कर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को नया रास्ता कायम किये जाने का त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे नहीं माना है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे आराजी सख्या 317 की पश्चिमी मेड पर स्थित आराजी संख्या 295 मे ट्यूबवेल लगा हुआ होना तथा आराजी संख्या 317, 318 की मेड पर 11 के0वी0 विद्युत लाईन का खंभा होना अंकित किया है। तथा गलत रूप से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी संख्या 318 मे जाने के लिए राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज आराजी संख्या 296 गैर मुमकिन रास्ते से आराजी संख्या 317 की पश्चिमी मेड के समानान्तर रास्ता दिया जाना गलत रूप से प्रस्तावित किया है । उक्त गलत रूप से प्रस्तावित रास्ते को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलांटगण की आराजी संख्या 317 की पश्चिमी मेड के समानान्तर नया रास्ता दिये जाने का निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रालडी से बन्जारी जाने वाले रास्ते से आराजी संख्या 262 व 263 की मेड पर होते हुए अपने खाते की आराजी संख्या 318 पर जाता है तथा आस–पास के खातेदार भी इसी रास्ते से अपनी अपनी आराजीयात पर आते जाते है। इस प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की आराजीयात पर आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही मौजूद है। उक्त वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होने से रेस्पोडेन्ट को नया रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नया रास्ता दिये जाने का निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता कायम किये जाने से पूर्व प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दी जाने वाली भूमि की डी0एल0सी0 की रिपोर्ट तहसील मे तलब नहीं की और न ही क्षतिपूर्ति राशी अपीलांट को अदा किये जाने का आदेश अपने निर्णय मे पारित किया किया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम 69 व 70 की पालना नहीं की है। मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध मे कोई सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई तथा मौका रिपोर्ट अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है जो राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम 69 व 70 का उल्लंघन है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.

टी. 2016 (2) पेज 1281, आर.आर.टी. 2016–17(सप्लीमेन्ट्री) पेज 597, आर.आर.टी. 2022(1) पेज 693 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया । सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार नैनवां से विवादित रास्ते की रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी पालना मे पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर उपस्थित होकर विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट मौके पर उपस्थित पक्षकारान व मौतबीरान की उपस्थिति मे विधिवत तैयार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 317 मे विद्यमान होना एवं इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने जाने हेतु एकमात्र निकटतम व आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 317 मे विद्यमान होने व इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षीगण की आराजी संख्या 317 मे रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित होने से अपीलांटगण अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलांटगण द्वारा कथित रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नहीं है। साथ ही कोई वैकल्पिक मार्ग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने–जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। जहां तक मौके पर उपस्थित होने का प्रश्न है तो अपीलांटगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित थे तथा इनकी उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट के संबंध मे तिथि निश्चित की गई थी। मौका रिपोर्ट पर अपीलांटगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा उक्त आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.09.2022 को तय कर दिया था तथा इस आदेश को कभी अपीलांटगण ने सक्षम न्यायालय मे चुनौती नहीं दी है। अतः उक्त आदेश दिनांक 30.09.2022 आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे अंतिम रूप से पारित आदेश है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2022(1) डी.एन.जे.(राज0) पेज 214, 2018 डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 249, 2019 डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज 11, डी.एन.जे. 2019(रेवेन्यु) पेज 11 प्रस्तुत किये। अन्त मे अपील अपीलांट

अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

7. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवताओं की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं की खातेदारी की कृषि आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता कायम किये जाने के संबंध मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 317 मे विद्यमान होना अंकित है । अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उन्हे मौका रिपोर्ट के समय सूचित नही किया जो नियमों का उल्लंघन है। हमने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 का अवलोकन किया जो इस प्रकार है "धारा 251–ए के अन्तर्गत आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल(साइट) का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू–अभिलेख के पद(रैंक) से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवायेगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों(पार्टीज) को सुने जाने का अवसर प्रदान कर तथा ऐसी और अग्रिम जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के बाद, यदि इससे अपना समाधान कर लेता है कि (1) आवश्यकता परम आवश्यकता है तथा वह जोत(हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है, एवं (2) विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नये रास्ते के मामले मे, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है, वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किये जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जावेगा।" अपीलांटगण लगातार अधीनस्थ न्यायालय मे जरिये अधिवक्त उपस्थित थे। उक्त नियमों के अनुसार मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर अपीलांटगण को प्रदान किया गया। अपीलांट ने प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की जिसे दिनांक 30.09.2022 को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णित कर दिया

तथा अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी दोनो के हस्ताक्षर है। उक्त रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे निकटतम पंहुच मार्ग है। रिपोर्ट मे उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नही होना अंकित है। उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित पक्षकारान व मोतबीरान की उपस्थिति मे तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट मे मौके की स्थिति तथा अन्य खसरा नम्बरों का स्पष्ट एवं सटीक वर्णन अंकित है। इसी प्रकार तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रेषित पत्र मे भी मौके की सम्पूर्ण स्थिति का विवेचन व वर्णन है। इस प्रकार विधिवत रूप से तैयार उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 317 मे विद्यमान होने व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 317 मे से रास्ता कायम किये जाने का निर्णय आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है, अतः प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण विपक्षीगण खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 99/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)